बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०1/12-03/2004 / 1578 पटना, दिनांक- 10.10.2014

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
उप सचिव,

सेवा में,

वरीय अनुसंधान पदाधिकारी(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

फैक्स एवं ई-मेल संवाद

प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी), गया एवं मुंगेर।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, एवं पूर्णिया।

विषय:- मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अन्तर्गत विभिन्न उप शीर्षो (योजना/गैर योजना) के अधीन विभिन्न वर्षो में आवंटन राशि से ए०सी० विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी०सी० विपत्र महालेखाकार को समर्पित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशालय के पत्रांक-63 दिनांक 15.01.2013, पत्रांक-120 दिनांक 24.01.13, पत्रांक-336 दिनांक 28.02.13, पत्रांक-800 दिनांक 12.04.13, पत्रांक-855 दिनांक 18.04.13, पत्रांक-1694 दिनांक 05.09.13, पत्रांक-1848 दिनांक 23.09.13, पत्रांक-1870 दिनांक 26.09.13, पत्रांक-2060 दिनांक 22.10.13, पत्रांक-2297 दिनांक 02.12.13, पत्रांक-15 दिनांक 03.01.14, पत्रांक-821 दिनांक 16.06.14, पत्रांक-939 दिनांक 07.07.14 एवं पत्रांक-1411 दिनांक 18.09.14.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया गया। महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आपके द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षो में ए०सी० विपत्र के माध्यम से राशि आहरण की गई है। उक्त ए०सी० विपत्र के विरूद्ध डी०सी० विपत्र तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को समर्पित करने हेतु विभागीय सचिव महोदय द्वारा 3(तीन) दिनों के अन्दर अनुपालन करने के लिए निदेश दिया गया था। अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा। उक्त आदेश के बावजूद भी अब तक लंबित डी०सी० विपत्र का समायोजन नही करना अति खेद का विषय है।

अत: पुन: निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 2(दो) दिनों के अन्दर लंबित डी०सी० विपत्र का समायोजन महालेखाकार कार्यालय में करते हुए वांछित प्रतिवेदन विशेष दूत द्वारा अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासहीनता एवं कर्तव्यहीनता का आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा। इसे अंतिम स्मार समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/- 10/10/14
उप सचिव

ज्ञापांक- 1578 पटना, दिनांक 10.10.2014

प्रतिलिपि:- संबंधित सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अधीनस्थ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को लंबित ए०सी० विपत्र का समायोजन करते हुए वांछित प्रतिवेदन निदेशालय में उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से निदेश देना चाहेगें।

2. विशेष सचिव, वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

ह०/- 10/10/14
उप सचिव

Raju/Est-2/Binod/02